>

Title: Need to enhance the amount of insurance cover provided to depositors by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी । डिपॉजिट इंश्योरेन्स क्रैडिट गारंटी कारपोरेशन 1961 में अस्तित्व में आया । जब कोई को-ओपरेटिव बैंक लिक्वीडेशन में जाती है, तो उनके डिपॉजिटर्स को इंश्योरेन्स कवर के रूप में एक लाख रूपए तक की रमक वापस करने की गारंटी यह कारपोरेशन डिपॉजिटर्स को देती है । हालांकि हर बैंक इसके लिए डिपॉजिट पर प्रीमियम भी भरती है। इसमें जो एक लाख रूपए तक राशि डिपॉजिटर्स को वापस देने की बात है वह दिनांक 1 मई, 1993 को तय की हुई है । वर्ष 1993 के एक लाख रूपये की कीमत आज के इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए बहुत कम है । सभापति महोदया मैं बताना चाहूंगी कि 1993 में डीआईसीजीसी जो 1 लाख रूपये देते थे आज वह राशि 10 लाख रूपये के बराबर हो गयी है लेकिन इसकी सीमा नहीं बढ़ाई बल्कि प्रीमियम जरूर 100 रूपए पर 10 पैसे बढ़ाया है । मैं वर्ष 2008 से प्रयास/मांग कर रही हूं कि जमाकर्ताओं के इंश्योरेस कवर की सीमा एक लाख रूपए से बढ़ाकर 5 से 10 लाख रूपये करनी चाहिए । इतने प्रयासों के बाद अब जाकर के वित्त मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया गया हे कि यह राशि 2 लाख रूपये होगी । मैं वित्त मंत्री को बताना चाहूंगी कि यह 2 लाख रूपये भी आज की तारीख में रूपये के गिरते हुए अवमूल्यन को ध्यान में रखकर बहुत कम है । इसकी सीमा 5 लाख रूपये होनी चाहिए ।

इसके साथ ही डीआईसीजीसी के रूल्स और रेगुलेशन्स पर भी ध्यान देना चाहिए । आज की तारीख में हो यह रहा है कि यह एक इंश्योरेन्स कारपोरेशन है, प्रीमियम लेते हैं फिर पैसा देते हैं । लेकिन बाद में इनका व्यवहार साहूकार जैसा हो जाता है । जब लिक्वीडेशन में गयी हुई बैंक अपना कर्ज वसूलती है, जिस पर वास्तव में डिपॉजिटर्स का प्रथम अधिकार होता है, होना भी चाहिए क्योंकि यह उनका ही सिक्योरिटाइज्ड गारन्टीड पैसा है । आप इसके लिए उनको इंट्रेस्ट भी नहीं देते हैं । बैंक लिक्विडेशन में जाने के बाद इंट्रेस्ट देना भी बंद कर देता है । मैं वित्त मंत्री को बताना चाहूंगी कि सामान्य से सामान्य, गरीब, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के लिए, बेटी की शादी के लिए एक पैसा बचाकर कोऑपरेटिव बैंकों में 2 लाख, 3 लाख रूपये जमा राशि रखते हैं । डीआईसीजीसी सिर्फ 1 लाख रूपये डिपॉजिटर्स को देती है लेकिन उस जमाकर्ता के पांच लाख रूपये बैंक में जमा हैं उसे वो हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि डीआईसीजीसी कार्पोरेशन जो रिजर्व बैंक के अंतर्गत आती है, वह साहूकार जैसे बैठ जाती है कि पहले हमारा पैसा वापस दे दो । आज कई लोग संकट में हैं, बैंक में पैसा है, लेकिन इलाज के लिए नहीं मिल रहा है ।

अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि आरबीआई को निर्देशित करते हुए डिपोजिट इंश्योरेन्स क्रैडिट गारंटी कार्पोरेशन को भी यह निर्देश दे कि वह पहले डिपॉजिटर को अधिकार दे और जो उन्होंने एक लाख रूपये की लिमिट लगायी है वह बढ़ा कर पांच लाख रूपये करें ।